सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.
फोन-0755-2708493, ईमेल- pssocialjustice@mp.gov.in

महत्वपर्ण

क्रं./468/125203 5/2023/26-2 भोपाल, दिनांक 11 /~~03~~ 04/2023

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय :- **विभाग की समस्त योजनाओं में आधार eKYC अनिवार्य करने एवं बैंक खाता आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय कराने के संबंध में।**

संदर्भ :- म.प्र. शासन, वित्त विभाग का पत्र क्रं. F2-4/2022/नियम/चार दिनांक 03 मार्च 2023 एवं संचालनालय का पत्र क्रं./सा.सहा.-2/2022/193 दिनांक 22/09/2022

वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित पत्र में राज्य शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं में आधार सन्निहित डी.बी.टी. के माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराये जाने के संबंध में लेख किया गया है साथ ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित योजनाओं में आधार आधारित भुगतान हेतु निर्देशित किया जा रहा है। आधार आधारित भुगतान प्रांरभ करने हेतु यह आवश्यक है कि हितग्राहियों का आधार eKYC हो एवं उनका खाता नम्बर आधार से लिंक हो, साथ ही खाता DBT Enabled (डीबीटी सक्रिय) भी हो।

वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समग्र पोर्टल पर नागरिकों की आधार eKYC कराने की कार्यवाही की जा रही है। अतः विभाग द्वारा संचालित समस्त पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का भी आधार eKYC कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

पेंशन हितग्राहियों की आधार eKYC कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाये :-

1. eKYC की सुविधा हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में संचालित सेवा प्रदाता एजेंसियों (MP Online, CSC & LSK) को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नियुक्त किया गया है।

2. समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी उनके क्षेत्र में संचालित सेवा प्रदाता एजेंसियों (MP Online, CSC & LSK) एवं जिला/सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधकों से समन्वय कर ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर कैम्प लगाकर अधिक से अधिक हितग्राहियों की आधार eKYC कराना सुनिश्चित करें।
3. ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा भी समग्र पोर्टल पर हितग्राहियों का स्तर पर आधार eKYC किया जा सकता है।
4. हितग्राहियों/आवेदकों को उनके स्वयं के खाता नम्बर को आधार से लिंक कराने एवं खाता DBT Enabled (डीबीटी सक्रिय) कराने हेतु अवगत कराया जाये।

1 अप्रैल 2023 से विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में समग्र पोर्टल पर आधार eKYC अनिवार्य किया जाता है। दिनांक 1 अप्रैल 2023 से किसी भी हितग्राही को विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु समग्र पोर्टल पर स्वयं का आधार eKYC कराना होगा, समग्र पोर्ट पर आधार eKYC के उपरांत ही विभागीय पोर्टल पर आवेदन दर्ज हो सकेगा। जिन योजनाओं में ऑनलाईन प्रणाली नहीं है, उन योजनाओं में आवेदन को स्वीकृत करने से पूर्व संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समग्र पोर्टल पर आधार eKYC की पुष्टि की जायेगी, पुष्टि उपरांत ही प्रकरण में नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(फैज अहमद किदवई)
प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
म.प्र.

O/c

पृ.क्र./ 469/1252035/2023/26-2 भोपाल, दिनांक 11 /~~03~~ 04/2023

प्रतिलिपीः-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, म.प्र.।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, म.प्र.।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, म.प्र.।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय आवास एवं विकास विभाग, म.प्र.।
6. वि.क.अ. सह आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।
7. आयुक्त, संस्थागत वित्त, म.प्र.।
8. प्रबध संचालक, एम.पी.एस.ई.डी.सी., म.प्र.।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
10. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, म.प्र.।
11. समस्त आयुक्त, नगर निगम, म.प्र.।
12. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत, म.प्र.।
13. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, म.प्र.।
14. डिप्टी जोनल मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल, म.प्र.।
15. श्री योगेश सिंह, वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन.आई.सी., म.प्र.।
16. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद, म.प्र.।
17. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, म.प्र.।

प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
म.प्र.

0/c